प्रेस नोट दिनांक 04.07.2024

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

➡ एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

➡ "हत्या के आरोप में मृतका के परिजन गिरफ्तार – प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या-

➡ "प्रेम प्रसंग के कारण परिजनों द्वारा किशोरी की हत्या कर शव छिपाया – पुलिस ने मृतका के माता-पिता समेत 5 परिजनों को किया गिरफ्तार" – शव गजिया तालाब से बरामद"

➡ "हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश – 5 अभियुक्त गिरफ्तार"

➡ "एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार, शव कब्र से निकाल पोस्टमार्टम"

➡ "नाबालिग की हत्या कर शव को छिपाया, आरोपी परिजन गिरफ्तार"

➡ थाना आसपुर देवसरा पर आवेदक राकेश दुबे पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद दुबे, निवासी ग्राम कोडरकला, थाना बदलापुर जनपद जौनपुर द्वारा थाना आसपुर देवसरा पर अपनी भांजी उम्र लगभग 16 वर्ष, निवासी ग्राम पीथापुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने तथा उसकी हत्या की भी आशंका व्यक्त की गई थी। परिजनों द्वारा घर पर ताला लगाकर फरार हो जाने संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

➡ थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0स0-198/25 धारा 103(1), 328, 3(5) बीएनएस बनाम 05 नामजद व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया था। थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा फरार परिजनों को तलाश कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना आसपुर देवसरा पर आवेदक द्वारा अपनी भांजी उम्र लगभग 16 वर्ष, निवासी ग्राम पीथापुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने तथा उसके परिजनों द्वारा घर पर ताला लगाकर फरार हो जाने संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। साथ ही, अपनी भांजी की हत्या की आशंका भी व्यक्त की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर

मु0अ0स0-198/25 धारा 103(1), 328, 3(5) बीएनएस बनाम 05 नामजद व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया है। थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा फरार परिजनों को तलाश कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूछताछ में बताया कि मृतका द्वारा आत्महत्या कर ली गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया कि विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित रूप से संपन्न कराई जाए तथा प्रकरण से जुड़ समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का विधिसम्मत परीक्षण किया जाए। उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत **अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ0नि0 हरीन्द्र नारायण राय, उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, म0उ0नि0 दिव्या सिंह, हे0का0 भानु प्रताप सिंह , का0 शिवम सिंह, का0 सर्वेश पाण्डेय द्वारा** उक्त घटना में संलिप्त 05 अभियुक्त/अभियुक्ता 1-इन्द्रमणि मिश्रा पुत्र स्व0 छोटेलाल मिश्रा 2-राममणि मिश्रा पुत्र स्व0 छोटेलाल मिश्रा 3- मोनी पत्नी इन्द्रमणि मिश्रा 4- कंचन मिश्रा पत्नी राममणि मिश्रा उर्फ कल्लू 5- एक बालक निवासीगण पीथापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को तेलियानी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मृतका के प्रेम प्रसंग के कारण उसकी हत्या कर घटना को आत्म हत्या दिखाने के लिए मृतका को फांसी पर लटका दिए थे।

अभियुक्त इन्द्रमणि मिश्रा उर्फ भुवर से पूछतांछ एवं आरोपी के निशानदेही पर मृतका का शव ग्राम पीथापुर गजिया तालाब से मजिस्टेट व पुलिस की मौजूदगी में खुदाई कराकर क्षत विक्षत शव को दिनांक 03.07.2025 को बरामद कर शव को पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया। घटना स्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी भी मौजूद रहे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1- इन्द्रमणि मिश्रा पुत्र स्व0 छोटेलाल मिश्रा उम्र करीब 35 वर्ष

2- राममणि मिश्रा पुत्र स्व0 छोटेलाल मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष

3- मोनी पत्नी इन्द्रमणि मिश्रा उम्र करीब 32 वर्ष

4- कंचन मिश्रा पत्नी राममणि मिश्रा उर्फ कल्लू उम्र करीब 38 वर्ष

5- एक बालक समस्त निवासीगण ग्राम पीथापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर,
2. उ0नि0 हरीन्द्र नारायण राय
3. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह
4. म0उ0नि0 दिव्या सिंह
5. हे0का0 भानु प्रताप सिंह
6. का0 शिवम सिंह
7. का0 सर्वेश पाण्डेय थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 25,000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

➡पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡योजनाबध्द तरीके से धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों जैसे संगीन अपराधों के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़ ।

102/108 इमरजेसी सेवा (ई0एम0आर0आई0 ग्रीन हेल्प सरविवेस में भर्ती प्रक्रिया पुलिस लाइन प्रतापगढ चल रही थी जिसमें आरोपी द्वारा योजनाबध्द तरीके से फर्जी दस्तावेज (धोखाधड़ी,

कूटरचित दस्तावेज) तैयार करने के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 0098/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम 01 अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण/नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, का0 विनोद सोनकर व वसीम अकरम खान, चालक कां0 ओम प्रकाश यादव द्वारा दिनांक 04.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0098/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में वाँछित 25,000/- रूपये का इनामियां 01अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी जादेपुर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ड़ॉ0 अनिल कुमार महोदय द्वारा शातिर 01अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी जादेपुर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ की गिरफ्तारी के लिए 25,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

01-अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी जादेपुर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, का0 विनोद सोनकर व वसीम अकरम खान, चालक कां0 ओम प्रकाश यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना अन्तू पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡ घटना मे प्रयुक्त 01 अदद लोहे का बांका किया गया बरामद

➡थाना अन्तू पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत काशीपुर बगिया के पास गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.07.2025 को आरोपी द्वारा वादी के सिर पर जान से मारने की नियत से बांके से हमला कर देने के प्रकरण में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 216/25 धारा 109 बीएनएस बनाम 01 नामजद व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव उ0नि0 जय किशन मय हमराह का0 अंकित यादव, का0 दीपक यादव, का0 शिवम राजपूत द्वारा दिनांक 04.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 216/25 धारा 109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त 1. पंकज पाण्डेय पुत्र राम कुमार पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुर थाना अन्तू प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के काशीपुर बगिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का बांका बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पंकज पाण्डेय पुत्र राम कुमार पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुर थाना अन्तू प्रतापगढ़।

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का बांका बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव उ0नि0 जय किशन मय हमराह का0 अंकित यादव, का0 दीपक यादव, का0 शिवम राजपूत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू , जनपद प्रतापगढ़

➡पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा◌ॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

हत्या का प्रयास,मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत ककरहा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 07.08.2025 को वादी के भाई व परिजनों को आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर लाठी डंडा फरसा व धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 186/25 धारा 190,191 (2), 191 (3), 109,115 (2), 333 बीएनएस बनाम 16 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह उ0नि0 दिनेश राय, का0 संदीप यादव, का0 लाखन सिंह द्वारा

देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू में पंजीकृत मु0अ0सं0 186/25 धारा 190,191 (2), 191 (3), 109,115 (2), 333 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों, 01. मो० अब्बास पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम मवैया कलां थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 59 वर्ष, 02. मो0 रईस पुत्र मो० इदरिस निवासी ग्राम मवैया कलां थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 49 वर्ष को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ककरहा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो० अब्बास पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम मवैया कलां उम्र 59 वर्ष थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मो0 रईस पुत्र मो० इदरिस निवासी ग्राम मवैया कलां उम्र 49 वर्ष थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह उ0नि0 दिनेश राय, का0 संदीप यादव, का0 लाखन सिंह थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

➡ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी, जबरन वसूली के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡थाना मान्धाता पुलिस द्वारा थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खरवई से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना मान्धाता प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 लाखन सिंह भदौरिया मय हमराही आरक्षी हरिपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मान्धाता में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 308(3)/351(3)/64(2)m/352/61(2)(a) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नूरूल हक पुत्र जुमई निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खरवई से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त नूरूल हक पुत्र जुमई निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

नुरुल हक पुत्र जुमई निवासी ग्राम खरवई थाना मांधाता वर्तमान थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

1.मुकदमा अपराध संख्या 187/19 धारा 379 भादवी थाना मांधाता।

2.मुकदमा अपराध संख्या 62/20 धारा 147/ 148/ 308/ 323 /504/ 506 भादवी थाना मांधाता।

3.मुकदमा अपराध संख्या 79/ 22 धारा 3/ 25 आर्मस एक्ट थाना देल्हूपुर।

4.मुकदमा अपराध संख्या 72/25 धारा -308(3),351(3),64(2)m,352 बीएनएस थाना मांधाता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
व0उ0नि0 लाखन सिंह भदौरिया मय हमराही आरक्षी हरिपाल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना बाघराय पुलिस द्वारा 03 अदद जिन्दा देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भैंसासुर मंदिर के पास गलगली मोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-*

➡अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ बुच्चू सरोज पर चोरी, अपहरण, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि़0 विकास प्रधान मय हमराह कां. कृष्णकांत राय, चालक कां विश्वजीत सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 04.07.2025 को 03 अदद जिन्दा देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ बुच्चू सरोज पुत्र राम मनोहर सरोज उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम मण्डल भासो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भैंसासुर मंदिर के पास गलगली मोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 03 अदद जिन्दा देशी सुतली बम की बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 - 128/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिश्चन्द्र उर्फ बुच्चू सरोज पुत्र राम मनोहर सरोज उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम मण्डल भासो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

हरिश्चन्द्र उर्फ बुच्चू सरोज पुत्र राम मनोहर सरोज उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम मण्डल भासो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

01- मु0अ0सं0 222/2019 धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

02- मु0अ0सं0 111/2023 धारा 363,366 भा0द0वि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

बरामदगी-

03 अदद जिन्दा देशी सुतली बम।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह कां. कृष्णकांत राय, चालक कां विश्वजीत सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।